उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या-11/2015/1629/तीस-4-2015-8(30)2013

लखनऊ, दिनांक: 03 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10, सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 28, 38, 65, 95, 96, 107, 111, 138, 176 और धारा 213 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचनासंख्या-1504/तीस-4-2015-8(30)2013, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के अनुसरण में आमंत्रित आपत्तियों एवं सुझावों के पश्चात उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित् नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश मोटरयान (उन्नीसवॉं संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (उन्नीसवॉं संशोधन)नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-70 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में, नियम 70 के पश्चात् निम्नलिखितनियम 70क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

70क- मालयान से भिन्न परिवहन यान के परमिट की अतिरिक्त शर्तें-

राज्य परिवहन प्राधिकरण, यह शर्त लगा सकेगी कि मालयान से भिन्न, परिवहन यानों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस)/जनरल पाकेट रेडियो स्विचिंग (जीपीआरएस) एवं आपातकालीन बटन लगाया जायेगा, परन्तुक यह कि 23 सीट या उससे अधिक सीट के परिवहन यानों में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जायेगा और ऐसी शर्त लगाने हेतु संभागीय परिवहन प्राधिकरणों को निर्देश दे सकेगी।

परन्तु यह और कि उपरोक्त सभी उपकरण वाहन स्वामी द्वारा प्रत्येक समय चालू हालत में रखे जायेंगें।

आज्ञा से,

ह०

कुमार अरविन्द सिंह देव

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11/2015/1629(1)/तीस-4-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 03 नवम्बर, 2015 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0
(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-11/2015/1629(2)/तीस-4-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- विधायी अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1629/XXX-4-2015-8(30)2013, dated November 03,2015

NOTIFICATION

No.11/ 2015/1629 /XXX-4-2015-8(30)2013,

Lucknow, dated November 03,2015

In exercise of the powers under section 28, 38, 65, 95, 96, 107, 111,138, 176, and section 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with the section 21 of General clauses Act, 1897 (Act no 10 of 1897) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 after inviting the objections and suggestions vide by notification no.1504/XXX-4-2015-8(30)2013, dated September 29, 2015 issued under sub-section 1 of section 212 of the said act of 1988:-

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (NINETEENTH AMENDMENT) RULES, 2015

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Nineteenth Amendment) Rules, 2015

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in Gazette.

Amendment of rule 70

2. In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rule, 1998 after rule 70 following rule 70A shall be inserted namely:-

70A- Additional conditions of permit of transport vehicle other than the goods vehicle- The State Transport Authority may impose condition that the transport vehicle, other than the goods vehicle, shall be fitted with Global Positioning System (GPS)/General Pocket Radio Switching (GPRS) and Emergency buttons, provided that the transport vehicles with 23 seats or more shall also be fitted with CCTV cameras and may direct the Regional Transport Authority to impose such condition,

Provided further that all above devices shall be kept in working condition at all time by the owner of the vehicle,

By order,

Kumar Arvind Singh Deo
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।